न्यायालय राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0नं0 66/2022

तारीख फैसला
12.11.2022

उनवान

1– सीताराम उर्फ छीतरलाल आत्मज धूल्या जी जाति कुम्हार प्रजापति निवासी कोटडादीपसिंह तहसील दीगोद हाल निवास रामदेव जी मंन्दिर के पास, सिविल लाईन कोटा जिला कोटा

(वादी)

बनाम

1– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादी)

वादीनी की ओर से – श्री छीतरलाल एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से– तहसीलदार दीगोद

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट बाबत घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती

निर्णय

वादी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम कोटडादीप सिंह तहसील दीगोद में वादी व अन्य सहखातेदारान के शामलाती खाते में खसरा नं0 1698 की 0.03 हेक्टर व खसरा नं0 1699 की 0.03 हेक्टर भूमि कुल दो किता की 0.06 हेक्टर भूमि स्थित चली आ रही है। जिसमे वादी का नाम छीतरलाल दर्ज रिकार्ड है। नकल जमाबन्दी संलग्न है।

यह कि उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम छीतरलाल अंकित है जो गलत है। वादी का घर का बोलता नाम है जबकि वादी का वास्तविक नाम सीताराम है। वादी का पेन कार्ड, आधार कार्ड में वादी का नाम सीताराम अंकित है। पंचायत तस्दीक में भी वादी का नाम छीतरलाल उर्फ सीताराम अंकित है जो एक ही व्यक्ति का नाम है।

यह कि प्रतिवादी के कर्मचारियों द्वारा उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम सीताराम के स्थान पर छीतरलाल दर्ज कर दिया है जिसके कारण वादी को भविष्य में काफी परेशानी होगी तथा ऋण आदि की सुविधा भी प्राप्त नहीं कर सकेगा। वर्तमान में भी वादी को किसी प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं हो रही है।

अतः वाद प्रस्तुत कर वादी का निवेदन है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्व निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे कि:–

अतः वादी ने निवेदन किया है कि ग्राम कोटडादीप सिंह तहसील दीगोद में वादी व अन्य सहखातेदारान के शामलाती खाते में खसरा नं0 1698 की 0.03 हेक्टर व खसरा नं0 1699 की 0.03 हेक्टर भूमि कुल दो किता की 0.06 हेक्टर भूमि में वादी का नाम

सदस्य
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा (राज.)

सदस्य
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा (राज.)

अध्यक्ष
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद, कोटा (राज.)

तरलाल के स्थान पर सीताराम दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किये जाने प्रतिवादी के विरूद्व आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई प्रतिवादी तहसीलदार की ओर से जवाब सरकार प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार दीगोद जर्ये नायब तहसीलदार सुल्तानपुर ने अपने जवाब में छीतरलाल व सीताराम एक ही व्यक्ति होना प्रकट किया है। वादी द्वारा साक्ष्य में स्वंय का शपथ पत्र एवं अन्य सहखातेदार का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है जो शामिल फाईल है।

वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण में जवाब सरकार एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम कोटडादीप सिंह तहसील दीगोद में वादी व अन्य सहखातेदारान के शामलाती खाते में खसरा नं0 1698 की 0.03 हेक्टर व खसरा नं0 1699 की 0.03 हेक्टर भूमि कुल दो किता की 0.06 हेक्टर भूमि में वादी का नाम छीतरलाल के स्थान पर सीताराम दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रहने पर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफत्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.11.2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद में सुनाया गया।

सदस्य
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा (राज.)

सदस्य
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा (राज.)

अध्यक्ष
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद, कोटा (राज.)